

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प मारुडी

क्रमांक रीडर/2023/
प्रार्थीगण

1954
बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 18/07/23

1 अर्जुनसिंह 2 रूपसिंह 3
गुलाबसिंह पिसरान भंवरसिंह
4 मीटुकंवर पत्नी छुगसिंह
जाति राजपूत निवासी
मारुडी तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 जीवराजसिंह पुत्र छुगसिंह जाति राजपूत निवासी रेडणा तहसील
गडरा रोड 2 गणपतसिंह 3 स्वरूपसिंह पिसरान कानसिंह 4
सिरेकंवर पत्नी कानसिंह 5 जीवराजसिंह 6 मांगसिंह पिसरान
मंगलसिंह 7 सिरेकंवर पत्नी मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी
मारुडी 8 नरेश 9 विनोद पिसरान मांगीलाल 10 परमेश्वरी पत्नी
मांगीलाल जाति सोनी निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर 11
मनोहरकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी भीमसिंह की
ढाणी, रामदेरिया तला ग्राम पंचायत आकोड तहसील चौहटन 12
कमला पुत्री गणेश कुमार 13 चोखाराम 14 गुलाराम पिसरान
अनाराम जाति मेगवाल निवासी मारुडी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 100/2023

दिनांक- 30/05/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोर्धनपुरा पटवार क्षेत्र मारुडी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 528/229 रकबा 4.6458 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1954 व 1957
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 18/07/23

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मथ रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मारुडी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जीवराजसिंह पुत्र छुगसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी रेडणा तहसील गडरा रोड
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर